



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 232 राँची, गुरुवार, 5 वैशाख, 1946 (श०)
25 अप्रैल, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

27 फरवरी, 2024

संख्या--13/ उ०न्या०स्था०- 05 / 2014 का०1458--

विषय :- झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को अनुसेवक भत्ता तथा अनुसचिवीय सहायता भत्ता एवं दूरभाष सुविधा की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 9950 दिनांक 20.11.2015 में संशोधन के सम्बन्ध में ।

विभागीय संकल्प सं० -9950 दिनांक 20.11.2015 के द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों को घरेलू सहायता भत्ता अनुसचिवीय भत्ता सहित निःशुल्क आवासीय दूरभाष की सुविधा प्रदान की गयी है जिसमें दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य प्रतिमाह निःशुल्क कॉल संख्या के अलावे 1500 रुपये तक निःशुल्क कॉल को अनुमान्य किया गया है।

2. पुनः विभागीय संकल्प संख्या - 449 दिनांक - 19.01.2023 द्वारा उक्त संकल्प सं०-9950 दिनांक 20.11.2015 में संशोधन करते हुए प्रति माह अनुमान्य 1500 रुपये के प्रावधानित

सीमा के अन्दर मुफ्त टेलीफोन कॉल की सुविधा के साथ FETH (Fiber to the Home) तथा इन्टरनेट के अन्य माध्यमों/कॉल सुविधा भी प्रदान की गई है।

3. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर W.P(PIL) No 19/2024 Courts on its own motion Vrs. State of Jharkhand में दिनांक 09.01.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्न प्रकार पठित है:-

..... This is not in dispute that under paragraph 19 (i) of the Resolution passed in Chief Justices' conference held in 2016 the surviving spouse of a former High Court Judge is entitled to the benefits under Resolution dated 20th November 2015. Therefore, we are of the opinion that pending High Court of Jharkhand (Condition of Engagement of Co-terminus Employees) Rules, 2019 coming into force the benefits under resolution dated 20th November 2015 can not be denied to the widow of a former Judge.

We may further clarify that once the High Court of Jharkhand (Condition of Engagement of Co-terminus Employees) Rules, 2019 are notified the benefits extended under resolution dated 20th November 2015 shall no longer be available to the former Judges and their widows.....

4. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 9950 दिनांक 20.11.2015 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

(i) विभागीय संकल्प सं0-9950 दिनांक 20.11.2015 की कंडिका-2 में प्रदत्त सुविधा झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश की मृत्यु के उपरांत उनकी जीवित पत्नी / पति (जो लागू हो) को भी अनुमान्य होगी ।

(ii) High Court of Jharkhand (Condition of Engagement of Co-terminus Employees) Rules, 2019 अधिसूचित होने के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या 9950 दिनांक 20.11.2015, संकल्प संख्या 449 दिनांक 19.01.2023 तथा उपरोक्त कंडिका- (i) द्वारा प्रदत्त सुविधा झारखण्ड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों एवं उनकी जीवित पत्नी / पति (जो लागू हो) के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी।

5. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 23.02.2024 में मद संख्या - 27 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(ह०/-) अस्पष्ट,

सरकार के सचिव
